

शीतकालीन सत्र 2021

प्रलिस के ललल:

संसद की बैठक की समाप्त, स्थगन, अनश्चित काल के ललल स्थगन, सत्रावसान और वधलटन ।

मेन्स के ललल:

संसद के शीतकालीन सत्र में पारलल महत्त्वपूर्ण वधलयक ।

चरचा में क्यों?

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र को अनश्चित काल के ललल स्थगल कर दलल गलल है (पुनः बैठक के ललल दनल नरलधरलल कलल बनल संसद की बैठक को समाप्त करना) । इस सत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण वधलयों को पारलल कलल गलल ।

प्रमुख बदल

- संसद की बैठक की समाप्त: दोनों सदनों में संसद की बैठक को नमलनलखलल प्रलवधलयों के दवलरल समाप्त कलल जा सकतल है:
 - स्थगन (Adjournment)
 - अनश्चितकाल के ललल स्थगन (Adjournment sine die),
 - सत्रावसान (Prorogation)
 - वधलटन (राज्यसभा के ललल लागू नहीं)
- स्थगन (Adjournment): स्थगन एक नश्चित समय के ललल बैठक में कामकाज को नललंबलल कर देतल है । स्थगन कुछ घंटे, दनल या सप्ताह के ललल हो सकतल है ।
 - जब बैठक अगली बैठक के ललल नललत कसलल नश्चित समय/तथल के बनल समाप्त हो जलती है तो इसे अनश्चितकाल के ललल स्थगन कहा जलतल है ।
 - स्थगन और अनश्चितकाल के ललल स्थगन की शक्तल सदन के पीठासीन अधकलरल के पास होती है ।
- अनश्चितकाल के ललल स्थगन: अनश्चितकाल के ललल स्थगन का अरथ है अनश्चितकाल के ललल संसद की बैठक को समाप्त करना, यलनी सदन को फरल से शुरु करने हेतु कोई एक दनल नरलधरलल कलल बनल स्थगल कर दलल जलतल है, तो इसे स्थगन कहा जलतल है ।
 - अनश्चितकाल के ललल स्थगन की शक्तल सदन के पीठासीन अधकलरल के पास होती है ।
 - हाललँक कसलल सदन का पीठासीन अधकलरल उस तलरलख या समय से पहले या सदन के अनश्चितकाल के ललल स्थगल होने के बाद कसलल भी समय सदन की बैठक बुलल सकतल है ।
- सत्रावसान (Prorogation):
 - सत्रावसान शब्द का अरथ संवधलन के अनुच्छेद 85(2)(ए) के तहत राष्ट्रपतल दवलरल दलल गए आदेश दवलरल सदन के एक सत्र की समाप्तल से है ।
 - सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करना है और आमतौर पर यह पीठासीन अधकलरल दवलरल सदन को अनश्चितकाल के ललल स्थगल करने के कुछ दनलों के भीतर कलल जलतल है ।
 - राष्ट्रपतल सत्र के सत्रावसान के ललल एक अधसूचना जलरल करतल है ।
 - हाललँक राष्ट्रपतल सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकतल है ।
 - यह ध्यान दलल जलनल चललल कल बलल पेश करने के अललवल सभी लंबलल नोटसल वलयगत हो जलते हैं ।
 - एक सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधल को एक अवकाश कहा जलतल है ।
- वधलटन (Dissolution): जब भी कोई वधलटन होता है, तो इससे मौजूदल सदन का करलयकाल समाप्त हो जलतल है और आम चुनाव के बाद एक नए सदन का गठन होता है ।
 - हाललँक केवल लोकसभा का वधलटन हो सकतल है राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण वधलटल नहीं हो सकती है ।

संसद के सदनों दवलरल पारलल कुछ महत्त्वपूर्ण वधलयक:

- **कृषि कानून नरिसन वधियक, 2021:** कसिानों के वरिोध को देखते हुए नमिनलखिति तीन कृषि कानूनों को नरिसत करने के लयि वधियक पेश करके पारति कयिा गया:
 - मूल्य आशवासन और कृषि सेवा अधनियम, 2020 पर कसिान (सशकतीकरण और संरक्षण) समझौता
 - कसिान उपज व्यापार और वाणजिय (संवर्द्धन और सुवधि) अधनियम, 2020
 - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधनियम, 2020
- **बाँध सुरक्षा वधियक, 2021:** यह बाँध की वफिलता से संबंधति आपदाओं की रोकथाम के लयि नरिदषिट बाँध की नगिरानी, नरिीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
 - यह उनके सुरक्षति कामकाज को सुनश्चिति करने के लयि और उससे जुड़े या उसके आनुषंगकि मामलों के लयि संस्थागत तंत्र प्रदान करने का भी प्रयास करता है।
- **सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (वनिियम) वधियक, 2021:** यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के वनिियमन एवं पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षति व नैतिक अभ्यास का प्रावधान करता है।
 - इसने राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की भी परकिल्पना की।
- **सरोगेसी (वनिियमन) वधियक, 2021:** यह देश में सरोगेसी सेवाओं के नयिमन का प्रावधान करता है।
 - यह सरोगेट माताओं के संभावति शोषण को रोकता है तथा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- **राष्ट्रीय औषधीय शक्ति एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन वधियक, 2021:** यह स्पष्टता प्रदान करता है कि राष्ट्रीय औषधीय शक्ति और अनुसंधान संस्थान अधनियम के तहत स्थापति संस्थान राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान होंगे।
 - इसने एक केंद्रीय नकिया की भी स्थापना की, जिसे औषधीय शक्ति और अनुसंधान एवं मानकों के रखरखाव आदि के समन्वति विकास सुनश्चिति करने के लयि परषिद कहा जाएगा।
- **उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन वधियक, 2021:** यह स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नश्चिति आयु प्राप्त करने पर पेंशन या पारविरकि पेंशन की अतरिकित मात्रा पाने के हकदार कब होते हैं।
- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबसटेंस (संशोधन) वधियक, 2021:** बलि अधनियम की धारा 27ए में प्रारूपण त्रुटिको ठीक करने के लयि इस वर्ष (2021) की शुरुआत में प्रख्यापति एक अध्यादेश की जगह लेगा।
- **दलिली वशिष पुलसि स्थापना (संशोधन) वधियक, 2021:** यह केंद्रीय जाँच ब्यूरो के नदिशक के कार्यकाल को जनहति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभकि नयिकर्ता में उल्लखिति अवधि सहति कुल मलिाकर पाँच साल पूरे नहीं हो जाते।
- **केंद्रीय सतरकता आयोग (संशोधन) वधियक, 2021:** यह प्रवर्तन नदिशालय के नदिशक के कार्यकाल को जनहति में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभकि नयिकर्ता में उल्लखिति अवधि सहति कुल मलिाकर पाँच वर्ष पूरे नहीं हो जाते।
- **चुनाव कानून (संशोधन) वधियक, 2021:** यह वभिनिन स्थानों पर एक ही वयकृति के कई नामांकन के खतरे को रोकने के लयि मतदाता सूची डेटा को आधार पारस्थितिकि तंत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है।

स्रोत: पीआईबी